@SHAJAHANPURPOL

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य 26.03.2024

थाना जलालाबाद पुलिस को मिली बडी कामयाबी,

थाना जलालाबाद पुलिस ने किया चोरी का खुलासा , एक शातिर हिस्ट्रीशीटर चोर मय चोरी किये गये 465/रुपये तथा 04 कारतूस जिन्दा 12 बोर के साथ गिरफ्तार

श्री अशोक कुमार मीना पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के निर्देशन एवं श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना जलालाबाद के नेतृत्व में बडी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 19.11.2023 को थाना जलालाबाद पर वादी श्री अशोक सिंह उर्फ गोले पुत्र रजनीश सिंह निवासी ग्राम गुरगवां थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर ने अज्ञात चोरो द्वारा वादी की परचून की दुकान में से गिलट के पैसे व गुटका अन्य सामान चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 370/2023 धारा 457/380 IPC पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री जुगेश कुमार चौहान के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान अभियुक्त 1.बृजपाल पुत्र नारायन नि0 ग्राम नगरिया थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर 2.सुनील पुत्र प्रेमचन्द्र नि0 ग्राम हुल्लापुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर 3. शेरसिह पुत्र लालाराम नि0 ग्राम जैतपुर थाना शमशाबाद जिला फर्रुखाबाद का नाम प्रकाश मे आया, **अभियुक्त बृजपाल पुत्र नारायन नि0 ग्राम नगरिया थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर आज दिनांक 26.03.2024 को बारह पत्थर चौराहे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी किये गये 465/रुपये ,व 04 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद किये गये**,अभियुक्त बृजपाल उपरोक्त थाना स्थानीय का प्रचलित हिस्ट्रीशटर है जिसका हिस्ट्रीशटर नम्बर 101 A है। मुकदमें उपरोक्त मे वाछिंत चल रहा अभियुक्त सुनील पुत्र प्रेमचन्द्र नि0 हुल्लापुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहाँपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 293/2023 धारा 2/3 गैगस्टरएक्ट थाना पाली जिला हरदोई में जिला कारागार हरदोई मे निरुद्ध है तथा अभियुक्त शेरसिह पुत्र लालाराम नि0 ग्राम जैतपुर थाना शमशाबाद जिला फर्रुखाबाद घर से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफतारी हेतु दविश दी जा रही है, अभियुक्त बृजपाल सिंह उपरोक्त थाना मिर्जापुर के मु0अ0सं0 864/2023 धारा 457/380 IPC मे भी वांछित चल रहा था, माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा 864/2023 मे धारा 411 IPC की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त बृजपाल पुत्र नारायन नि0 ग्राम नगरिया थाना जलालाबाद जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. 465/रुपये गिलट के
2. 04 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर

विवरण पूछताछ-

अभियुक्त ब्रजपाल पुत्र नारायण लाल निवासी ग्राम नगरिया भूड़ थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर ने पूछने पर बताया कि साहब मै पढ़ा लिखा नही हूँ गलत संगत में पड़ने के कारण चोरी करने लगा था मै थाना जलालाबाद से हिस्ट्रीशीटर चल रहा हूँ मेरे ऊपर अनेको मुकदमा चल रहे है जिनकी पैरवी खर्च के लिए हम लोग ग्रुप बनाकर चोरी करते है हमने दिनांक 18.11.2023 को ग्राम गुरूगवां के मकानो मे चोरी की थी जिसमे हम लोगो को गुटखे बिस्किट व कुछ सिक्के मिले थे गुटखे व बिस्किट हमने अपने परिवार व दोस्तों के साथ मिलकर खा पी लिए है सिक्को में से मेरे हिस्से में 465 रूपये गिल्ट के सिक्के आये थे इस चोरी में मेरे साथ शेर सिंह उर्फ शेरू पुत्र लालाराम निवासी ग्राम जैतपुर थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद व सुनील पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम हुल्लापुर थाना अल्लागंज जनपद शाह0 थे और दिनांक 21/22-11.2023 को ग्राम उदयपुर भूडा थाना मिर्जापुर के मकानों में अपने

साथियों के साथ चोरी की थी उस चोरी में मेरे साथ शेर सिह पुत्र लालाराम निवासी ग्राम जैतपुर थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद व सुनील पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम हुल्लापुर थाना अल्लागंज जनपद शाह0 व मुनीम पुत्र भीकम निवासी हीरानगर जरीयनपुर थाना मिर्जापुर शाह0 थे उस चोरी में हमनें एक मकान से 15 कारतूस 12 बोर के मिले थे व दूसरे बन्द मकान में रखी अलमारी बक्सों में एक चैन दो अंगूठी दो जोड़ी पायल व चार चुडी सोने की व 50000 रूपये आदि सामान मिला था जिसे हम साथियों ने आपस में बराबर बराबर बाँट लिया था मेरे हिस्से में एक चूड़ी एक अंगूठी व 12000 रूपये तथा चार जिन्दा कारतूस 12 बोर आये थे मेरे द्वारा एक चूड़ी अंगूठी को राह चलते राहगीर को बेच दी थी अंगूठी व चूडी से प्राप्त पैसे व 12000 रूपये मेरे द्वारा अपने खर्च में खर्च कर लिए गये है तथा चोरी से बरामद 4 कारतूस 12 बोर को में साथ लेकर घूम नही सकता था इसलिए पकड़े जाने के डर से मैंने उन्हें एक प्लास्टिक की पन्नी में 4 कारतूस 12 बोर व 465 रूपये के गिल्ट के सिक्के रखकर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रख दिया था जिसे मैने आपकों कोला पुल के पास से बरामद करा दिया गया है। आज मै किसी काम से जा रहा था कि पुलिस ने पकड लिया। साहब मुझसे गलती हो गयी है मुझे माफ कर दो।

अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 376/2004 धारा 364 IPC थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
2. मु0अ0सं0 232/2008 धारा 413 IPC व 207 MV ACT थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0सं0 396/2010 धारा 457/380/411 IPC थाना जलालाबाद
4. मु0अ0सं0 11/2020 धारा 457/380/411 IPC थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
5. मु0अ0सं0 970/2021 धारा 4/25 A ACT थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
6. मु0अ0,0 687/2023 धारा 323/325 IPC थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
7. मु0अ0सं0 488/2021 धारा 3/25 A ACT थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर
8. मु0अ0सं0 370/2023 धारा 457/380/411 IPC थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहांपुर
9. मु0अ0सं0 864/2023 धारा 380/411 IPC थाना जलालाबाद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री हरपाल सिंह बालियान थाना जलालाबाद जनपद शाहजहापुर
2. उ0नि0 श्री जुगेश कुमार चौहान थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
3. का0 2762 मोहित कुमार थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर
4. का0 333 रणवीर थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर